FORM NO III APP-A

फर्द अहकाम Crim-1

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

दौलत पुत्र श्री मंगलाराम जाति माली जो. बनाम किशन लाल पुत्र सोहनलाल जाति माली व अन्य 1

किस्म मुकदमा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम नम्बर 122 सन् 2019 (अजमेर)

(2019/100122)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री भींयाराम चौधरी श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
29.3.19	यह अपील श्री भींयाराम चौधरी एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 20.03.2018, प्रकरण संख्या 10/2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट की प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील पर बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं आवेदन की प्रति व प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 20.03.2018 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस किये जाकर पत्रावली दिनांक 20.04.2015 नियत की गई। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायायालय के आदेश के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील श्रवणायोग्य नहीं हैं। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.की लार्जर बेंच द्वारा पारित आदेश 12.03.2014 में कथन किया कि "Revenue Appellate Authority has jurisdiction under Section 225 of the Act to entertain an appeal against an ex-parte or ad-iterim ex-parte order passed by a Trial Court under Section 212 of the Act, but the Revenue Appellate Authority has no jurisidiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte order which are effective only till next date of hearing."। मान्नीय मण्डल की उक्त नजीर द्वारा अपील चलने योग्य नही पायी जाती हैं। **अतः अपील अपीलांट श्रवणा योग्य नहीं होने से खारिज की जाती हैं। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	